न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी–कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 11 / 2016
GCMS CASE NO-2016/00017

1. जान मोहम्मद पुत्र श्री ईदू खॉं जाति मुसलमान साकिन वार्ड न0 1 नया सूरतगढ़
–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ
2. नगरपालिका सूरतगढ जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ
–रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–
1. श्री कमलदत्त शर्मा व रामस्वरूप तावणियां, मूलचंद शर्मा अपीलांट
2. पैरोकार राज, रेस्पोडेंट न0 1
3. श्री मदन भांभू रेस्पोंडेंट न0 2

दिनांकः– 27-3-2024

:: निर्णय ::

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ के निर्णय दिनांक 03.06.2006 जिसके द्वारा अपीलांट का रोही कस्वा सूरतगढ़ के ख.न. 313/10 की 3.795 है0 टीसी भूमि को खारिज कर दिया गया है उसके विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण में अपीलांट ने अपील पेश कर निवेदन किया है कि अपीलांट को रोही कस्वा सूरतगढ़ के खसरा न. खसरा न0 313/10 में 3.795 है0 भूमि दिनांक 05.07.1978 को टीसी आवंटित की गई थी जिसका समय समय पर नवीनीकरण होता रहा है जो दिनांक 30.10.1980 सम्वत 2037 दिनांक 27.6.1981 सम्वत 2038 दिनांक 19.6.82 सम्वत 2039 तक नवीनीकरण हुआ व सम्वत 2040 में लगातार रकम जमा करवाता रहा है। सम्वत 2041 तक की रकम खजाना राज जमा करवाता रहा है। पटवारी हल्का ने दिनांक 12.04.2006 को रिपोर्ट में रकबा 2 किमी परिधी यानि पैराफेरी में आया किइस आश्य की रिपोर्ट दी उक्त रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 18.04.2006 को प्रार्थी को टीसी आवंटन समाप्त करने बाबत् नोटिस दिया गया उसके पश्चात दिनांक 03.06.2006 को अपीलांट को बिना नोटिसं दिये तीनबारं आवाज लगाई गई अप्रार्थी उपस्थित नहीं अतः एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है एवं कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री कमलदत्त व श्री रामस्वरूप तावणियां श्री मूलचंद शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट 01 की ओर से पैरोकार राज व रेस्पोडेंट 02 की और से मदन भांभू अधिवक्ता हाजिर आये। प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर [illegible] सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों [illegible] हल्का अपीलांट के पास आया और कहा कि उक्त [illegible] सरकारी हो [illegible] है। तब अपीलांट को जैर अपील आदेश की जानकारी हुई। अपीलांट ने दिनांक [illegible] 2016 की नकल प्राप्त करने के लिए पत्र लगाया जिसकी नकल दिनांक 28.1.2016 को प्र[illegible] हुई। अतः प्रार्थनापत्र धारा 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:47:59 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

847

Scanned with OKEN Scanner

अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

5. रेस्पोडेंटस ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का खण्डन करते हुए लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने यह अपील लगभग 14 वर्ष पश्चात पेश की है जो पूर्णतया मियाद बाहर है। अपीलांट को जेर अपील आदेश की कार्यवाही का पूर्णतया ज्ञान था। जेर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुना गया था। अपील पेश करने में हुई देरी का जो कारण अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित किया है, वह सन्तोष जनक नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद खारिज किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जावे।

6. हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलांट्स ने प्रार्थनापत्र में देरी का जो कारण बताया है वह भी संतोष जनक है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हम हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर करने की बजाय गुणावगुण पर करना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 1 रूल 10 सीपीसी पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील नगरपालिका सूरतगढ ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण से जो भी निर्णय होगा उससे नगरपालिका सूरतगढ के हित प्रभावित होंगे इसलिये नगरपालिका सूरतगढ को हितबद्ध पक्षकार बनाया जाना उचित है।

8. प्रार्थना पत्र पर अपीलांट द्वारा सहमति प्रकट की गई उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया रेस्पोडेंट संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 1 रूल 10 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

9. तत्पश्चात गुणावगुण के आधार पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 05.07.1978 को रोही कस्बा सूरतगढ में खसरा न0 313/10 में 3.795 है0 भूमि टीसी आवंटित की गई थी जिसका समय समय पर नवीनीकरण होता रहा है जो दिनांक 30.10.1980 सम्वत 2037 दिनांक 27.6.1981 सम्वत 2038 दिनांक 19.6.82 सम्वत 2039 तक नवीनीकरण हुआ व सम्वत 2040 में लगातार रकम जमा करवाता रहा है। पटवारी हल्का ने दिनांक 12.04.2006 को रिपोर्ट में रकबा 2 किमी परिधी यानि पैराफेरी में आया कि इस आशय की रिपोर्ट दी उक्त रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 18.04.2006 को प्रार्थी को टीसी आंवटन समाप्त करने बाबत् नोटिस दिया गया उसके पश्चात दिनांक 03.06.2006 को अपीलांट को बिना नोटिस दिये तीनबार आवाज लगाई गई अप्रार्थी उपस्थित नहीं अतः एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है एवं कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते है। यह कि दिनांक 4.4.2006 को अपीलांट को कोई नोटिस नहीं मिला अपीलांट की टीसी आवंटितशुदा भूमि को पैराफेरी मानकर खारिज कर दिया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को टीसी खारिज करने का कोई अधिकार नहीं था। यह कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया गया एक व्यर्थ व शून्य आदेश है। ऐसे आदेश को चुनौती देने हेतु कोई समय सीमा नहीं है तामील चस्पांदगी करवाने का उल्लेख किया जबकि गवाहो कापूर्ण पता ही अंकित नहीं है। तानीकर्ता ने मनमर्जी से नाम लिखवाकर चस्पांदगी का नोटिस वापिस अदालत हाजा को भेज दिया इससे सीपीसी के कानूनी प्रावधानों की अवहेलना की है। अपीलांट ... तथ्यों के खिलाफ तथा बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना पारित ... इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है कि विवादग्रस्त भूमि प्रार्थी को ... अस्थाई काश्त हेतु आवंटित की गई थी जिसका ... प्रार्थी द्वारा उक्त शर्तो का कोई उल्लंघन नहीं किया गया ... ने अपने निर्णय में कहीं भी अंकित नहीं किया हैकि किस शर्त का उल्लंघन किया गया है। तहसीलदार सूरतगढ ने प्रार्थी को नोटिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:47:59 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (श्री. गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

जबकि टीरी पट्टों के शर्तो के अनुसार प्रार्थी लगातार काश्त करता चला आ रहा है। काश्त गिरदावरी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। पैराफेरी क्या चीज है तथा किसी आवंटन पर लागू होती है अपीलाधीन निर्ण नोन स्पीकिंग निर्णय है। जैसा कि आर बीजे 2003 पेज 62 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान की खण्डपीठ ने निर्णित किया है कि

cpc 1980 order 20 rule 46 a and 7 non speaking order Without and concise statement of fact has no legal sancity and does not amount judgment.

जैसा कि एआईआर एससीडब्ल्यू 2005 पेज 1074 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णित किया है कि

Disposal must be reasoned order

परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नही किया अपीलाधीन निर्णत प्रिन्टेड फार्म है जिससे केवल प्रार्थी का नाम व भूमि का अंकन किया है बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोक किये गये पारित निर्णय निरस्त किये जाने योगय है। निगराधीन निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर जाकरपारित किया गया है शर्त 1955 की शर्त 6(4)के तहत तहसीलदारअ सलाहकार समिति की सलाह से आवंटन करेगा शर्त 19(ए) ता (इ) के तहत Determination of tenacy अभिधृति का पर्यवसन के प्रावधान किया गया है शर्त स. 19(ए) के तहत शर्त के पालना नहीं करने अथवा शर्त उल्लंघन करने पर कलक्टर को पटटा निरस्त करने की शक्ति है। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 2 में कलक्टर निम्न प्रकार से परिभाषित है।

collector means The collector of the district and includes(a) any officer appointed stage government allover or any the fiction and everse or any the prove collector under act and

(b) any officer appointed before or after comman of this act or purpose colonization तहसीलदार सूरतगढ का अपीलाधीन निर्णय क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया गया है।

जैसा कि आरआरडी 1958 पेज

jurisdication order passed by court without jurisdication effect it is elamentaty principal of law that court has jurisdication over the subject matter of the litigation its judgment and order nowever.

इसी प्रकार की आरआरडी 1992 पेज 117 पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की एकलपीठ ने निर्णय किया है। कि

jurisdication order passed without jurisdication however precise certain technically correct is an null oit and it is not only voidable bit void

इसलिए क्षेत्राधिकार विहीन आदेश दिनांक 03.06.2006 निरस्त योग्य है। यह कि विद्वान तहसीलदार ने उक्त परिपत्र को स्वस्थ मस्तिष्क से अवलोकन नहीं किया परिपत्र दिनांक 08.02.2006 वेस्टलैण्ड आवंटन के सम्बंध में पारित किया गया है। परिपत्र में स्पष्ट कर दिया गया है कि परिपत्र किन किन नियमों के तहत आवंटित भूमि पर लागू होगा।

(अ) राजस्थान भू–राजस्व (निजी जंगलात विकसित करने हेतु अकृषि योग्य बंजर भूमि का आवंटन) नियम 1986

(ब) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि आधारित निर्यातोन्मुख उपज के प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1996

(स) राजस्थान भू–राजस्व (डेयरी कुकट और सू[illegible]हेतु आवंटन) नियम 1958 परिपत्र में स्पष्ट परिपत्र केवल उक्त [illegible] ग्रस्त भूमि का आवंटन उपरोक्त नियमों के तहत नहीं किया गया है इसलिए परिपत्र 08.02.2006 के प्रावधान प्रार्थी को आवंटित भूमि पर लागू नहीं होते हैं यह कि [illegible] न्यायालय ने अपना निर्णय 31.08.2006 को पारित निर्णय में मुख्य आधार राजस्व विभाग के परिपत्र 15.12.2005 कमांक प.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:47:59 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

6(6)राज/06/92/23 के आधार पर निर्णय पारित किया है। परंतु विद्वान तहसीलदार ने उपरोक्त परिपत्र को स्वस्थ मस्तिष्क से अवलोकन नहीं किया परिपत्र को स्वस्थ मस्तिष्क से अवलोकन नहीं किया परिपत्र दिनांक 15.12.2005 के अनुसार:–

1. औद्योगिक या अन्य कृषि अकृषि प्रयोजनार्थ नियमानुसार भूमि का आवंटन दो प्रकार से हो सकता है।

2. स्वयं की खातेदार कृषि भूमि का उक्त प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाया जा कर आवंटन

3. राज्य सरकार के स्वामित्व की सिवाय चक भूमि का आवंटन।

इस प्रकार संपरिवर्तन भूमि का उपयोग संपरिवर्तन प्रयोजन न किये जाने पर आवंटी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि को मूल रूप से कृषि प्रयोजनार्थ खातेदारी भूमि में दर्ज करवाया जा सकता है। परंतु राज्य सरकार के स्वामित्व की सिवाय चक भूमि आवंटन प्रकरणों में आवंटी का आवंटन निरस्त होकर पुनः मूल रूप से सिवाय चक दर्ज की जानी होती है यदि किसी व्यक्ति या कम्पनी या किसी जयूरिस्टक पर्सन को राजकीय सिवाय चक भूमि औधेगिक या अन्य अकृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई है तो जब कभी उक्त भूमि उस अकृषि उददेश्य हेतु उपयोग नहीं की जावेगी तो वो पुनः राजय सरकार के नाम सिवाय चक भूमि के रूप में दर्ज की जावेगी। अपीलांट की भूमि पर उक्त परिपत्र लागू नहीं होता इसलिए अपीलांट अपनी कृषि भूमि के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.06.2006 निरस्त करवाने का अधिकारी है। यह कि रकबा पूर्व में कालोनी क्षेत्र में होने के कारण आवंटन नियम शर्ते 1955 के तहत आवंटन किया गया था राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसार उक्त रकबा दिनांक 18.10.2007 को कालोनी क्षेत्र से बाहर घोषित कर दिया जिस कारण प्रार्थी की भूमि के आवंटन नियम 1970 के अंतर्गत आ गया और आवंटन नियम 1970 के नियम 18 में संशोधन कर के परिपत्र विभागीय अधीसूचना एफ. 9(15)रे.वे.6/पार्ट/33 जयपुर दिनांक 21.06.2007 का नियमानुसार हिन्दी रूपांतरण कमांक प.9(15)रे.वे./06/2005 पार्ट 43 दिनांक 29.08.2007 के अनुसार उक्त नियम में संशोधन कर शहरी क्षेत्र के पेराफेरी क्षेत्रों मे आई भूमि का नियमानुसार खातेदारी जारी किये जाने को उक्त परिपत्र जारी किया गया कि नियम 18 का उक्त नियमों के नियम 18 को संशोधन विध्यमान उपनियम(4) निम्नलिखित अतः स्थापित किया जायेगा अर्थात ऐसी भूमि आवंटन के समय अधिनियम की धारा 90ख में वर्णित नगरीय क्षेत्र की नगर योग्य सीमा के भीतर या पेराफेरी क्षेत्र के भीतर नहीं थी ततपश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण नगर सुधार न्यास निगम का नगर परिषद ने नगरीय योग्य सीमा या परिधि क्षेत्र में सम्मलित कर ली हो तो खातेदारी अधिकार केवल राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से जिला स्तरीय समिति द्वारा उक्त क्षेत्र के लिए यथाअवधरित भूमि के बाजार गूल्य का 20 प्रतिशत राशि संदाय करने पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जायेगें और भूमि के नगर की बोर्ड के नगरीय सीमा या परिसीमा में तत्पश्चात सम्मलित होने की दशा में खातेदारी अधिकार खण्ड आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से जिला स्तरीय समिति द्वारा उस क्षेत्र के लिए अवधारित भूमि के बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत राशि का संदाय करने पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जायेगें। ततपश्चात राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व ग्रुप 6प(9)15 आरईवी खण्ड आयुक्त के अनुमोदन के जगह उक्त अधिकार श्रीमान जिला कलक्टर को निहित कर दिये गये है। उक्त परिपत्र के अनुसार जिला कलक्टर के पूर्व अनुमोदन से ही खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जा रहे है। अतः प्रार्थी का प्रकरण स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 03.06.2006 को खारिज किया जाकर प्रार्थी का रकबा पुनः बहाल किया जावे।

10. रेस्पोडेंट संख्या 01 पैरोकार राज ने दौराने बहस लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने मातहत न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 19.06.2018 को नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया है। इससे यह साबित है [illegible] जेर अपील आदेश की कार्यवाही का पूर्णतय ज्ञान था। मातहत न्यायालय के आदेश [illegible] को सुना गया था ततपश्चात आदेश हुआ था। अपीलांट ने [illegible] में यह क[illegible] नहीं किय कि उसने जेर अपील आदेश की जानकरी ना हो, इसलिए अपीलांट को जेर अपील आदेश की पूर्णतया जानकारी थी। इसलिए अपील पेश करने में जानबूझकर देरी की ग[illegible]। टीसी आवंटन केवल एक साल के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:47:59 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री. गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

लिए ही आवंटन होता है, एक साल पश्चात समयावधि समाप्त होते ही टीसी आवंटन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। न्यायिक दृष्टांत–RRD 1992 Page No- 431 अनुसार–A Lease of Temporary cultivation automatically terminates at the end of the lease period-an heir to a deceased allottee can-not claim renewal thereof as a matter of right-he should apply for a fresh allotment for himself on merits. न्यायिक दृष्टांत–RRT 2018 (1) Page No 364 decided on 19th may 2017 के अनुसार A Lease for temporary cultivation come to an end automatically on expiry of the term of lease. न्यायिक दृष्टांत RRD 1995 Page No- 431 के अनुसार टीसी अवधि के समाप्ति के पश्चात स्वतः ही टीसी आवंटन निरस्त हो जाता है। इसलिए अपीलांट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त अनवानी अपील अपीलांट ने दिनांक 31.08.2006 के विरूद्ध 16 वर्ष बाद श्रीमान जी के न्यायालय मे पेश की है जो पूर्णतय मियाद बाहर है अपीलांट ने टीसी आवंटन की शर्त, टीसी का नवीनीकरण एक साल के लिये होता है। एक साल बाद टीसी नवीनीकरण के लिए तहसीलदार के पास उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक है। अपील में अपीलांट ने विलम्ब माफी हेतु कोई कारण नहीं बताया है। संतोषजनक कारण के अभाव में अपील मियाद बाहर होने से काबिल निरस्ती है। कानूनी नजीर RRT 2015(2) page no 1090 RRT 2015(1) page no 232 RRT 2002 page no 33 RRT 2010 page no 801 के अनुसार देरी माफी योग्य नहीं है। टीसी आवंटी को कभी भी रकबा पुख्ता आवंटन नहीं हुआ है। इस कारण अपीलांट ने पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है इसलिये अपील खारिज योग्य है।टीसी आवंटी को उसके टीसी आवंटित रकबे में किसी तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है कानूनी नजीर आरआर जे 1999 के पेज संख्या 214 के अनुसार इस प्रकार का अपीलांट को इस प्रकार के रकबे में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे इसलिए भी अपील खारिज योग्य है। अपीलांट ने इस अपील में एक तरफा आदेश के खिलाफ अपील पेश करके अनतोष चाहा है जबकि अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय में एक तरफा आदेश के निरस्त करने का अनुतोष ले सकते थ अपीलांट को ऐसे आदेशों के विरूद्ध अपील करने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए अपील खारिज योग्य है। अपीलांट का इस रकबा पर लगातार कब्जा काश्त नहीं है अपीलांट के लगातार उक्त रकबा पर काश्त नहीं की है अपीलांट के अपील के साथ कोई ऐसा साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि उसने इस रकबे को लगातार काश्त होना भी कानूनी अनिवार्य है अपील खारिज योग्य है।जैर प्रकरण रकबा जमाबंदियो में शुरू से ही आराजीराज था यह रकबा लगातार कब्जा काश्त के अभाव में निरस्ती योग्य था अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय युक्ति युक्त है। जैर प्रकरण में रकबा का टीसी निरस्ती हेतु श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा तहसीलदार सूरतगढ़ को अधिकृत किया था अस्थायी आवंटन नियम 1955 के नियम 4(5) के अनुसार तहसीलदार को शक्तियां है तथा नियम 23 के अनुसार तहसीलदार को अधिकार भी है इसलिये मातहत न्यायालय का निर्णय युक्ति युक्त है।अपीलांट का टीसी आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा नहीं किया गया है अतः मौखिक बहस के साथ लिखित बहस पेश कर अर्ज है कि अपील पूर्णतया मियाद बाहर होने से तथा अपीलांट को जैर प्रकरण रकबे में कोई हक प्राप्त नहीं हो सकता है। टीसी आवंटन शर्त के अनुसार अपीलांट शर्त भी पूरी नहीं करता है व अपीलांट के नाम लगातार टीसी नवीनीकरण नहीं है व लगातार कब्जा काश्त भी नहीं है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतया विधि संगत होने से अपील अपीलांट खारिज की जावे।

11. रेस्पोडेट संख्या 02 की तरफ श्री मदन भाभू अधिवक्ता उपस्थित हुए उन्होने अवगत कराया कि एक्स पार्टी आदेश के खिलाफ सीधे अपील पेश नहीं की जा सकती है व अपील मियाद गुजरने के बादपेश की गई है। अपील डिक्री की होती है आदेश की अपील पेश नहीं होती है। अतः अपील पूर्णतया मियाद बाहर होने से तथा अपीलांट को जैर प्रकरण रकबे में कोई हक प्राप्त नहीं हो सकता है। टीसी आवंटन शर्त के अनुसार अपीलांट शर्त भी पूरी नहीं करता है व अपीलांट के नाम लगातार टीसी नवीनीकरण नहीं है व लगातार कब्जा काश्त भी नहीं है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतया विधि संगत होने से अपील अपीलांट खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:47:59 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

हमने उभय पक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया एवं हस्तगत पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। जिससे पाया कि अपीलांट को रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा न. 313/10 की 3.795 है0 को राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के तहत अस्थाई काश्त (टीसी) पर आवंटन हुई थी। मूल आवंटी को टी.सी. आवंटन एक वर्ष हेतु किया गया था। उक्त टीसी आवंटन को पुख्ता करवाने हेतु अपीलांट द्वारा ना तो कोई प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा ना ही अपीलांट का टीसी आवंटन पुख्ता हुआ है। अपीलांट का टीसी खारिज होने के पश्चात उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए है जिससे उसका कब्जा काश्त साबित हो, जबकि टीसी आवंटन के लिए निरंतर कब्जा काश्त होना अतिआवश्यक था। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से अपीलांट का कब्जा काश्त सिद्ध नही हो रहा है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा टीसी आवंटन की शर्तों की अक्षरक्षः पालना नहीं की है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ के प्रकरण संख्या 58/2006 अनवान सरकार बनाम जानू पुत्र ईदू मुसलमान में पारित निर्णय दिनांक 03.06.2006 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:47:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner